"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2015—वैशाख 11, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ-1-02/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ-1-02/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. (1982), अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन छोड़कर) विभाग, अध्यक्ष, सी.एम.डी.सी. एवं महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (अति. प्रभार) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है तथा उन्हें इसके साथ-साथ महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर के पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983), अपर मुख्य सचिव, गृह, परिवहन, जेल, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा परिवहन आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है तथा उन्हें इसके साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

3. श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986), अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक-सह-अध्यक्ष, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986) द्वारा प्रबंध संचालक-सह-अध्यक्ष, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक-सह-अध्यक्ष, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986) द्वारा प्रबंध संचालक-सह-अध्यक्ष, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर का पदभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. कुजूर, भा.प्र.से. (1986), अध्यक्ष, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर के पदभार से तथा श्रीमती श्रुति सिंह, भा.प्र.से. (2006), प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर के पदभार से मुक्त होंगे.

4. श्री बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम, भा.प्र.से. (1987), प्रमुख सचिव, मंत्रालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, गृह, परिवहन एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ करता है तथा उन्हें इसके साथ-साथ परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

5. श्रीमती रेणु पिल्ले, भा.प्र.से. (1991), प्रमुख सचिव, मंत्रालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

6. श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (1993), सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन छोड़कर) तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वित्त एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन छोड़कर) के पद पर पदस्थ करता है तथा उन्हें इसके साथ-साथ आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

7. श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997), सचिव मुख्यमंत्री, सचिव, खनिज साधन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, सीएमडीसी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

8. डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कौशलेन्द्र कुमार, भा.व.से. (1992), मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, बिलासपुर वृत्त की सेवायें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को सौंपता है.

2. श्री व्ही. शेट्टेप पनावर, भा.व.से. (1992), मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, बिलासपुर वृत्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-04/2015/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती नीथू कमल (भापुसे-सीजी 2008) पुलिस अधीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 06-04-2015 से दिनांक 17-04-2015 (12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05-04-2015 एवं 18-04-2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने तथा उक्त अवधि में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 11019/06/2001-एआईएस-III दिनांक 05-12-2007 में निहित शर्तों के अनुसार स्वयं के व्यय पर दमन (सऊदी अरब) विदेश प्रवास की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कमल आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.) के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती कमल, को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीथू कमल (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 3-13/2015/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/तह/जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	क्षेत्र का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना व तहसील-पथरिया जिला मुंगेली	थाना-हिर्री, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर	दौना	29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	थाना व तहसील-पथरिया जिला मुंगेली	थाना-हिर्री, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर	बरकोनी	29
3.	—,,—	—,,—	टिकैंतपेंडरी	30
4.	—,,—	—,,—	लुकउकापा	30
5.	—,,—	—,,—	मोंहदी	29
6.	—,,—	—,,—	दानी सेंदरी	29
7.	—,,—	—,,—	खम्हारडीह	31
8.	—,,—	—,,—	भकरीडीह	32
9.	—,,—	—,,—	सल्फा	32
10.	—,,—	—,,—	चुनचुनिया	34
11.	—,,—	—,,—	करही	34
12.	—,,—	—,,—	मोतिमपुर	35
13.	—,,—	—,,—	सोबतपुर	35
14.	—,,—	—,,—	नागपुरा	35
15.	—,,—	—,,—	खजरी	35
16.	—,,—	—,,—	मोहभटटा	34
17.	—,,—	—,,—	धुमा	36
18.	—,,—	—,,—	बारगांव	36
19.	—,,—	—,,—	किरना	36
20.	—,,—	—,,—	लमती	39
21.	—,,—	—,,—	देवाकर	36
22.	—,,—	—,,—	बडियाडही	39
23.	—,,—	—,,—	खैरा	37
24.	—,,—	—,,—	मदवानी	38
25.	—,,—	—,,—	झगरकापा	39
26.	—,,—	—,,—	दरूवनकापा	39
27.	—,,—	—,,—	मदकु	39
28.	—,,—	—,,—	ठेकली	39
29.	—,,—	—,,—	पासिन	39
30.	—,,—	—,,—	घुटिया	38
31.	—,,—	—,,—	चन्दखुरी	38
32.	—,,—	—,,—	धमनी	31
33.	—,,—	—,,—	खपरी	32
34.	—,,—	—,,—	सरगांव	32

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 08 अप्रैल 2015

क्रमांक 540-A/एफ-11-2/2007/13/1.—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 180 की उपधारा 2 (ओ), सहपठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत संबंधी उपाय) विनियम 2010 की कंडिका 30 एवं 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विषय में जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि शासन के विद्युत निरीक्षक या उनके

सहायकों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन किये जाने वाले निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए तथा सामान्यत: उसके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के लिए निरीक्षण शुल्क निम्नलिखित दर के अनुसार उदग्रहित की जावेगी, जो दिनांक 01-04-2015 से प्रवृत्त होगी.

(2) **निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी, आवर्ति एवं देय निरीक्षण शुल्क का विवरण :—**

क्र. (1)	प्रतिष्ठान का विवरण (2)	सक्षम प्राधिकारी (3)	आवर्ति (4)	निरीक्षण शुल्क (5)
1.	250 वोल्ट तक की तथा इसके सहित के वोल्ट का अधिष्ठापन.	विद्युत वितरण लाइसेन्सी द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/व्यक्ति.	कनेक्शन जारी करने के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार.	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 100/- के मान से
2.	सिनेमा/सार्वजनिक, मनोरंजन/ बहुमंजिला इमारतें/लिफ्ट संस्थापना.			
	(अ) 250 वोल्ट तक की अधिष्ठापन.	विद्युत वितरण लाइसेन्सी द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/व्यक्ति.	कनेक्शन जारी करने के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार.	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 1000/- के मान से
	(ब) 250 से अधिक वोल्टेज पर.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) सहायक विद्युत निरीक्षक एवं उप अभियंता.	—तदैव—	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 5000/- के मान से
	(स) मॉल में संचालित सिनेमा हेतु.	—तदैव—	—तदैव—	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 10000/- के मान से
3.	650 वोल्ट तक तथा इसके सहित और 250 वोल्ट से अधिक वोल्ट स्तर का अधिष्ठापन जिसमें जनरेटर सम्मिलित है.			
	(अ) 10 एचपी तक तथा इसके सहित के संस्थापना.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी उप अभियंता एवं उससे उच्च अधिकारी.	कनेक्शन जारी करने के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार.	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 200/- के मान से
	(ब) 10 एचपी से अधिक तथा 50 एचपी तक के संस्थापना.	—तदैव—	—तदैव—	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 1000/- के मान से
	(स) 50 एचपी से अधिक के संस्थापना.	—तदैव—	—तदैव—	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 2000/- के मान से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	650 वोल्ट से अधिक वोल्ट का अधिष्ठापन (बूस्टर एवं केपिसिटर बैंक तथा जनरेटर को सम्मिलित करते हुए)			
	(अ) 100 किलोवाट तक	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी उप अभियंता एवं उससे उच्च अधिकारी.	कनेक्शन जारी करने के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार.	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 500/- के मान से
	(ब) 100 किलोवाट से अधिक तथा 1000 किलोवाट तक.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक एवं उससे उच्च अधिकारी.	—तदैव—	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 2000/- के मान से
	(स) 1000 किलोवाट से अधिक तथा 5000 किलोवाट तक.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक एवं उससे उच्च अधिकारी.	—तदैव—	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 5000/- के मान से
	(द) 5000 किलोवाट से अधिक तथा 10000 किलोवाट तक.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक एवं उससे उच्च अधिकारी.	—तदैव—	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 10000/- के मान से
	(इ) 10000 किलोवाट से अधिक	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक एवं उससे उच्च अधिकारी.	—तदैव—	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 20000/- के मान से
5.	उच्चदाब या अति उच्चदाब के लिए स्विच गियर या स्विचयार्ड.			
	(अ) एचटी ब्रेकर प्रत्येक के लिए.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक तथा सभी उप अभियंता.	कनेक्शन जारी करने के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में.	प्रत्येक स्थापना हेतु रुपये 500/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ब) ईएचटी ब्रेकर	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	कनेक्शन जारी करने के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में.	प्रत्येक स्थापना हेतु रुपये 2000/-
	(स) एचटी स्वीचयार्ड	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक तथा सभी उप अभियंता.	—तदैव—	प्रत्येक स्थापना हेतु रुपये 2000/-
	(द) ईएचटी स्वीचयार्ड	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	—तदैव—	प्रत्येक स्थापना हेतु रुपये 20000/-
6.	25 मेगावाट तक के विद्युत उत्पादन संयंत्र/जनरेटर.	कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक एवं उससे उच्च अधिकारी.	उत्पादन संयंत्र के संचालन के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार.	संयंत्र अंतर्गत ऊपर तालिका में दर्शाये अनुसार वोल्टेजवार संस्थापनाओं के लिए प्रत्येक जांच हेतु पृथक-पृथक देय
7.	25 मेगावाट क्षमता से अधिक क्षमता के विद्युत उत्पादन संयंत्र/जनरेटर.	अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक.	उत्पादन संयंत्र के संचालन के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार.	संयंत्र अंतर्गत ऊपर तालिका में दर्शाये अनुसार वोल्टेजवार संस्थापनाओं के लिए प्रत्येक जांच हेतु पृथक-पृथक देय
8.	नई उच्चदाब या अति उच्चदाब ओव्हरहेड लाइन			
	(अ) उच्चदाब विद्युत लाइन	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक तथा सभी उप अभियंता.	केवल चार्जिंग के पूर्व	प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपये 500/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ब) 132 केव्ही को सम्मिलित करते हुए 220 केव्ही तक की लाइन.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	केवल चार्जिंग के पूर्व	प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपये 2000/-
	(स) 220 केव्ही से ऊपर तथा 765 केव्ही तक.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	—तदैव—	प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपये 5000/-
9.	उच्चदाब या अति उच्चदाब केबल.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के सभी कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक तथा सभी उप अभियंता.	केवल चार्जिंग के पूर्व	प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रुपये 2000/-
10.	एक्सरे/न्योन साइन आदि	सभी सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक तथा सभी उप अभियंता.	कनेक्शन जारी करने के पूर्व तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार.	प्रत्येक संस्थापना हेतु रुपये 2000/- के मान से

टिप्पणी :— निरीक्षण फीस के निर्धारण की प्रक्रिया तथा निरीक्षण शुल्क जमा करने की विधि तथा निर्देश :—

(क) ऐसे जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर को जो कि एक ही घिराव में या जो एक-दूसरे के पार्श्व में संस्थापित हो और जो सामान्यत: समानान्तरण (पैरेलल) चलते हों, एक ही संस्थापना माना जावेगा और निरीक्षण शुल्क उनकी कुल क्षमता पर प्रभारित की जायेगी किन्तु जो ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर सामान्यत: समानांतर (पैरेलल) नहीं चलते हैं या तो एक दूसरे के पार्श्व या एक ही घिराव संस्थापित नहीं है, उन्हें अलग-अलग संस्थापना माना जावेगा.

(ख) जनरेटर और ट्रांसफार्मर से भिन्न के उपस्कर जिसके विद्युत प्रदाय एक ही बस से तथा एक वोल्टेज पर प्राप्त होता है और जो एक ही घिराव में या एक दूसरे के पार्श्व में संस्थापित है, उनको एक ही संस्थापना माना जायेगा और निरीक्षण शुल्क कुल क्षमता पर प्रभारित की जायेगी किन्तु वे उपस्कर, जो भिन्न-भिन्न बसों से या भिन्न-भिन्न वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त करते हों या जो एक दूसरे के पार्श्व में या एक ही घिराव में संस्थापित नहीं है, उन्हें अलग-अलग संस्थापना माना जाएगा.

(ग) जहां कहीं भी मशीनरी या उपस्कर का इस प्रकार क्षमता निर्धारण दिया गया हो, यहां "किलोवाट्स" के स्थान पर "किलोवाट्स एम्पीयर्स" या "बी.एच.पी." या "के.व्ही.ए.आर." पढ़ा जायेगा.

(3) **निरीक्षण शुल्क जमा करने हेतु मद का विवरण :—**

(क) शुल्क का भुगतान विद्युत संस्थापना स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा शासकीय कोषालय में निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत किया जायेगा—

सिनेमा को छोड़कर अन्य संस्थापनाओं के लिए.	–	0043	–	विद्युत पर कर तथा शुल्क
राजस्व शीर्ष	–	102	–	भारतीय विद्युत नियमों के अधीन फीस
		और		
सिनेमा के लिए	–	0043	–	विद्युत पर कर तथा शुल्क
राजस्व शीर्ष	–	103	–	सिनेमाओं के बिजली संबंधी निरीक्षण की फीस

और कोषालय का चालान/ई–चालान छ.ग. शासन के सहायक विद्युत निरीक्षक को भेजा जायेगा.

(ख) **निरीक्षण शुल्क का भुगतान नीचे दर्शाई गई तारीखों के पूर्व किया जाए :—**

(एक) ऐसी नई ई.एच.टी./एच.टी. संस्थापनाएं या नये सिनेमा के लिये, जिसमें उनके परिवर्तन या परिवर्धन भी सम्मिलित है, फीस का भुगतान अग्रिम में किया जायेगा और कोषालय चालान विद्युत निरीक्षक को भेजा जायेगा जिसके साथ ऐसे संस्थापना के निरीक्षण तथा/या अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र संलग्न करना होगा.

(दो) अन्य नई संस्थापनाओं, जिनमें उनका परिवर्धन या परिवर्तन भी सम्मिलित है, और मौसमी कारखानों के लिए फीस का भुगतान संस्थापनाओं की उपयोग में जाये जाने के पूर्व किया जायेगा.

(ग) यदि उपखंड (एक) में दर्शाये अनुसार फीस का भुगतान किये बिना संस्थापना को ऊर्जीकृत किये जाने पर देय फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी.

(4) यदि किसी संस्थापना का निरीक्षण किये जाने के पूर्व ही उसे असंयोजित (डिस्कनेक्ट) कर दिया गया हो या जिसे हटा दिया गया (डिस्मेन्टल) हो, तो कोई शुल्क प्रभारित नहीं होगी.

(5) यदि कोई मोटर या अन्य साधित्र, जिसे 15 दिन से अनाधिक कालावधि के लिए परीक्षण के तौर पर शक्ति प्रयोजनों के लिए संस्थापित किया गया हो तो कोई शुल्क प्रभारित नहीं होगी.

(6) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए वर्ष से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष यथा 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का ऊपर विहित की गई फीस ऊपर दर्शाई गई निरीक्षण की अनावृत्ति के अनुसार प्रत्येक नियतकालिक निरीक्षण के लिए देय होगी. प्रथम या प्रारंभिक निरीक्षण के संबंध में यह समझा जायेगा कि यह उस कालावधि के लिए जिसमें कि निरीक्षण किया गया हो, नियतकालिक निरीक्षण है. विद्युत संस्थापना स्वामी की प्रार्थना पर किया गया या विद्युत अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सिनोमाटोग्राफ रूल्स एण्ड रेग्युलेशन के उपबंधों में से किसी भी उपलब्ध का भंग होने के कारण किये गये प्रत्येक निरीक्षण के लिए विहित फीस की आधी प्रभारित की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सुकमा, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 182/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुकमा	सुकमा	गादीरास प.ह.नं. 04	12.491	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सुकमा.	मलेंजर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक 03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	सिलघट प.ह.नं. 16	6.90	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद जिला धमतरी.	भखारा-सुपेला-सिलघट मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक 04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	भखारा प.ह.नं. 15	6.44	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद जिला धमतरी.	भखारा-सुपेला-सिलघट मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक 930/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	ससहा प.ह.नं. 16	0.186	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बोहारडीह एनीकट एवं केंवटाडीह (भूतहा) एनीकट एवं तटबंध पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/241/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना	292/2	0.061	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर.	कचना बलौदाबाजार मार्ग निर्माण.
			293/3	0.043		
			293/1	0.036		
		योग	**3**	**0.140**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक 1524/अ-82/वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	बघमरा	2.862	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद, संभाग बालोद.	बालोद - पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक 1526/अ-82/वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	बालोद	4.651	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद, संभाग बालोद.	बालोद - पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक 1530/02 अ-82/वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	पाररास	1.326	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद, संभाग बालोद.	बालोद - पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक 493/भू-अर्जन/वा./2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	बरपानी प.ह.नं. 46	2.883	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जिला महासमुंद.	सांकरा से झगरेनडीह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक/02/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	उड़काकन प.ह.नं. 33	0.708	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक/03/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	कोसमकुण्डा प.ह.नं. 32	0.982	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक/04/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	खपरीडीह प.ह.नं. 31	0.667	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक/05/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	जैतपुर प.ह.नं. 32	4.165	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक/06/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	पण्ड्रीपाली प.ह.नं. 33	0.924	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बॅराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2012-13.—भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-सुटुपाली, प.ह. नं.-37, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 3.738 हे. केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत नवापाली लघु नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 19-04-2013 तथा दिनांक 18-01-2014 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-सुटुपाली

खसरा नं.	रकबा (हे. में)	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
283/5	0.113	341	0.004

कुल खसरा नं. 2 कुल रकबा 0.117 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2012-13.—भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-गुड़ू, प.ह. नं.-28, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 2.698 हे. केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत गुड़ू लघु नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 19-04-2013 तथा दिनांक 18-04-2014 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-गुड़ू

खसरा नं.	रकबा (हे. में)	खसरा नं.	रकबा (हे. में)	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
134/2	0.073	182/2	0.008	182/1	0.041

कुल खसरा नं. 3 कुल रकबा 0.122 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बंधापाली प.ह.नं. 48	1.188	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	पामगढ़ शिवरीनारायण बरमकेला सोहेला मार्ग पर लात नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	लोहरीनडीपा प.ह.नं. 45	0.172	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	पामगढ़ शिवरीनारायण बरमकेला सोहेला मार्ग पर लात नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बालमगोड़ा प.ह.नं. 19	2.619	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत औराभांठा माइनर नहर निर्माण हेतु (आर.डी. 1010 मी. से आर.डी. 2460 मी.) भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	औराभांठा प.ह.नं. 18	0.546	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत औराभांठा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तारापुर प.ह.नं. 18	2.463	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत कुरमापाली माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतरा प.ह.नं. 19	0.133	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत औराभांठा माइनर नहर निर्माण हेतु (आर. डी. 0 मी. से आर. डी. 30 मी.) भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुरमापाली प.ह.नं. 18	1.910	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत कुरमापाली माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	धनागर प.ह.नं. 10	0.332	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के मुख्य नहर (आर.डी. क्र. 11992 से 13520 मी. तक) हेतु पूरक भू-अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नावापारा प.ह.नं. 17	2.246	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के धनगांव वितरक नहर के अंतर्गत धनगांव सब माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रैबार प.ह.नं. 21	4.974	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत कारीछापर माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जिलाड़ी प.ह.नं. 25	0.665	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत जिलाड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बोन्दा प.ह.नं. 25	3.322	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत जिलाड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तिलगी प.ह.नं. 21	2.571	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत कारीछापर माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भगवानपुर प.ह.नं. 25	0.101	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरमुड़ा प.ह.नं. 25	1.025	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु पूरक भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	झलमला प.ह.नं. 09	1.368	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत झलमला माइनर हेतु भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छातामुड़ा प.ह.नं. 06	0.680	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत नन्हाईडीपा हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	डूमरमुड़ा प.ह.नं. 10	1.160	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत डूमरमुड़ा माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	छुहीपाली प.ह.नं. 10	0.186	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गढ़उमरिया प.ह.नं. 07	2.843	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत बड़ेडेरा माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गढ़उमरिया प.ह.नं. 07	2.795	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत नन्हाईडीपा हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गढ़उमरिया प.ह.नं. 06	0.049	सचिव किरोड़ीमल पालिटेकनिक सोसायटी रायगढ़.	के.आई.टी. कालेज के निर्माण में प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भगोरा प.ह.नं. 35	22.281	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सपनई बैराज योजना अंतर्गत डूब क्षेत्र का भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	चीतापाली प.ह.नं. 51	0.141	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	कटाईपाली (सी) से चितापाली मार्ग पर निर्माणाधीन सखिया नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सरिया प.ह.नं. 05	0.358	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	बकालो मड़वाताल सरिया मार्ग पर कोरजा नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	उजलपुर प.ह.नं. 09	1.560	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तहत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन बाबत्

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बहिरकेला प.ह.नं. 15	5.820	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	राजा तालाब जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लैलूंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक/61/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हानखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
372	0.21
474	0.04
योग	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-डंवरखार-सारण्डा-कुम्हारखार सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक/64/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बांगडोंगरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	425	0.10
योग		0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-अरौंद-मुरूमतरा-देवीनवागांव सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), बिलासपुर छ.ग.

बिलासपुर, दिनांक 19 मार्च 2015

क्रमांक/37/भू.अ./स.अ.भू.अ.-2/2014-2015/पट. हल्कों का पुर्न.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर बिलासपुर एतद्द्वारा जिला मुख्यालय बिलासपुर के निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पटवारी हल्कों का निम्न सूची के अनुसार ग्रामवार पृथक-पृथक पटवारी हल्का पुनर्गठित करता हूं.

क्र.	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	प्रचलित पटवारी हल्का एवं सम्मिलित ग्राम (नगर निगम बिलासपुर सीमा में स्थित)	एक ग्राम के मान से पृथक-पृथक नवगठित पटवारी हल्कों एवं ग्रामों का नाम	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	32-सरकण्डा चांटीडीह 33-कुदुदण्ड मंगला 34-जूना बिलासपुर तोरवा 35-जरहाभांठा तालापारा	32-सरकण्डा 32अ चांटीडीह 33-कुदुदण्ड 33अ मंगला 34-जूना बिलासपुर 34अ तोरवा 35-जरहाभांठा 35अ तालापारा	प.ह.नं. 33 में सम्मिलित ग्राम मंगला का अंशभाग नगर निगम वार्ड क्र. 01 का हिस्सा है. शेष भाग पंचायत में स्थित रहेगा.

उपरोक्तानुसार इस अधिसूचना से प्रचलित चार हल्कों के आश्रित ग्राम अतिरिक्त पटवारी हल्का क्रमांक 32अ चांटीडीह, 33अ मंगला, 34अ तोरवा तथा 35अ तालापारा के रूप में अस्तित्व में आ जायेंगे.

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th April 2015

No. 278/Confdl./2015/II-1-3/2014.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13016/01/2015-US.II dated 01-04-2015 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Navin Sinha, Judge of the Chhattisgarh High Court has assumed charge of the office of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh on 09th April, 2015 in the forenoon.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 15th April 2015

No. 681/L.G./2015/II-03-04/2014.—Shri Hemant Saraf, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 05 days from 09-03-2015 to 13-03-2015 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 05-03-2015 to 15-03-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saraf, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 114 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th April 2015

No. 682/L.G./2015/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 04 days from 24-03-2015 to 27-03-2015 along with permission to remain out of headquarters from 24-03-2015 to 29-03-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+03 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).